



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक विविध ज़मानत अर्जी सं. - 44811 सन् 2025

फरीदा

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	अतुल कुमार पाण्डेय
विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

श्री अतुल कुमार पांडे, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता।

वर्तमान ज़मानत अर्जी आवेदक फरीदा की ओर से दायर की गई है, जिनके बारे में कहा गया है कि वे 17.05.2025 से मथुरा जेल में निरुद्ध हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री पांडे ने निवेदन किया है कि उन्हें उच्च न्यायालय विधिक सेवा अधिनियम द्वारा आवेदक का केस सौंपा गया है। आवेदन के साथ पृष्ठ संख्या 79 पर एक शपथ-पत्र संलग्न है, जिस पर आवेदक फरीदा का अंगूठे का निशान अंकित है और जिसे ज़िला जेल मथुरा के जेलर द्वारा सत्यापित किया गया है। तथापि, इस शपथ-पत्र में शपथकर्ता की आयु का उल्लेख नहीं किया गया है।

शपथ-पत्र न्यायालय के नियमों के अनुरूप नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ विसंगतियाँ हैं; जिनमें यह तथ्य भी शामिल है कि आवेदन पर न तो शपथकर्ता के हस्ताक्षर हैं, और न ही ज़मानत आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र के विभिन्न पृष्ठों पर उसके अंगूठे का निशान लगाया गया है।

उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान ज़मानत अर्जी को वापस लेने का अनुरोध किया है, और साथ ही एक नई, विधिवत गठित अर्जी दाखिल करने की स्वतंत्रता) भी मांगी है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तदनुसार, ज़मानत अर्जी को, अनुरोधित स्वतंत्रता के साथ, वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह ज़मानत अस्वीकृति आदेश की प्रमाणित प्रति को, उसकी एक फोटोकॉपी रिकॉर्ड पर रखने के बाद, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को लौटा दे।

16 जनवरी, 2026

दीपक/

माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

Translated Version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।